

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-8
संख्या-1257 / आठ-8-2023-01 विविध / 90
लखनऊ: दिनांक: 15 सितम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-51 की उपधारा-(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली, 1975 के नियम के उपबन्धों, सपडित अनुदेश संख्या-14 तथा 15 उत्तर प्रदेश सचिवालय अनुदेश, 1982 के अनुसरण में पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-872/आठ-8-2023-01 विविध/90, दिनांक 16.06.2023 को संशोधित करते हुए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में तैनात अधिकारियों के मध्य पुनरीक्षण कार्य अंतिम आदेश पारित करने सहित निस्तारित किये जाने हेतु एतद्वारा निम्नानुसार कार्य आवंटित किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	विकास प्राधिकरण का नाम
1	श्री रणवीर प्रसाद, सचिव	गाजियाबाद, अयोध्या, मुरादाबाद, प्रयागराज
2	श्री उदय भानु त्रिपाठी, विशेष सचिव	झांसी, उरई, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर- विंध्याचल, गोरखपुर, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, रायबरेली, बस्ती
3	श्री सुनील कुमार सिंह, विशेष सचिव	आगरा, बरेली, हापुड़-पिलखुवा, मथुरा-वृन्दावन, बांदा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, खुर्जा, लखनऊ, सहारनपुर
4	श्री मनोज कुमार, विशेष सचिव	मेरठ, वाराणसी, रामपुर, कानपुर, उन्नाव-शुक्लागंज, बागपत-बडौत-खेकड़ा, समस्त विनियमित क्षेत्र एवं समस्त विशेष क्षेत्र।


उपरोक्तानुसार आवंटित पुनरीक्षण कार्य बंटवारा तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
2. निजी सचिव, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव, (श्री उदय भानु त्रिपाठी) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
4. निजी सचिव, विशेष सचिव, (श्री सुनील कुमार सिंह) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
5. निजी सचिव, विशेष सचिव, (श्री मनोज कुमार) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
6. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र एवं अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(किशलय सिंह)
अनु सचिव